

युद्धबंदी और जेनेवा संधि

संदर्भ-

- पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान को भारतीय पायलट के साथ मानवीय व्यवहार करना होगा। क्योंकि युद्धबंदियों पर जेनेवा संधि के नियम लागू होते हैं।
- पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, “ पाकिस्तानी सेना की हिरासत में एक भारतीय पायलट है। विंग कमांडर के साथ सैन्य आचरण के मुताबिक सलूक किया जा रहा है।” युद्धबंदियों का संरक्षण (POW) करने वाले नियम विशिष्ट हैं।
- पाकिस्तान के दावे पर पुष्टि करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा गया कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान की कस्टडी में है और हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि पाकिस्तान यह सुनिश्चित करे कि सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जेनेवा समझौते के तहत पाकिस्तान, भारत के पायलट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
- कारगिल युद्ध में भी भारतीय पायलट नचिकेता को जेनेवा संधि के तहत छोड़ना पड़ा था। जबकि 1971 कि लड़ाई में पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया था। जिन्हें बाद में सुरक्षित छोड़ दिया गया था।

जेनेवा संधि क्या है?

- युद्धबंदियों (POW) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौते (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं। जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है।
- मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी।
- इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक जेनेवा समझौते में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि युद्धबंदियों (POW) के क्या अधिकार हैं? साथ ही समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है।
- जेनेवा समझौते में दिए गए अनुच्छेद 3 के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए।

अन्य मुख्य बातें

- युद्धबंदियों (POW) के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही सैनिकों को कानूनी सुविधा भी मुहैया करानी होगी।
- इस संधि के अनुसार युद्धबंदियों (POW) पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के बाद युद्धबंदियों को वापस लौटाना होता है। कोई भी देश युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा नहीं कर सकता। युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है।
- इस संधि के तहत घायल सैनिक की उचित देखरेख की जाती है।
- संधि के तहत उन्हें खाना पीना और जरूरत की सभी चीजें दी जाती है।

- इस संधि के अनुसार किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता।
- किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर ये संधि लागू होती है। (फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष)
- संधि के अनुसार युद्धबंदी को डराया-धमकाया नहीं जा सकता।
- युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जाता।

आगे की राह

- पाकिस्तान को जेनेवा संधि का पालन करते हुए यथाशीघ्र गिरफ्तार भारतीय जवान को भारत को सौंप देना चाहिए, ऐसा न करने पर भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत पूर्णरूपेण युद्ध छेड़ देने का हक है।
- भारत को संयुक्त राष्ट्रसंघ और वैश्विक समुदाय के समक्ष इस मामले को गंभीरतापूर्वक उठाना चाहिए। जिससे कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके।
- भारत का यह अभियान आतंकरोधी था परंतु पाकिस्तान द्वारा उकसावे की कार्रवाई के तहत भारतीय सेना के ठिकानों को निशाना बनाने की चेष्टा की गई। यह भारत के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने की युक्ति है। इसे राजनयिक और सामरिक स्तर पर भारत को देखने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में पाकिस्तान का आर्थिक रूप से बेहद दबाव की स्थिति में होना और वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ जाना भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है जिसे लगातार जारी रखने की आवश्यकता है, जिससे आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक युद्धबंदी को संरक्षण का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों में ही लागू होता है।
2. जेनेवा सम्मेलनों में 4 संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं। जो युद्ध में मानवीय उपचार के लिए कानून के मानकों को स्थापित करते हैं।
3. युद्ध में मानवीय नियमों की स्थापना हेतु तैयार जेनेवा समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किये हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

- प्र. युद्धबंदियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा करने में जेनेवा संधि की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। जेनेवा संधि के पूर्व में हुए उल्लंघनों और उसे क्रियान्वित करने के दुनिया के प्रयासों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।